UPMP010006582026

Presented on : 13-02-2026
Registered on : 17-02-2026
Decided on : 03-04-2026
Duration : 0 years, 1 months, 18 days

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी।

Presided Over by Rupesh Ranjan

Reg no 19/ 2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026

अनूप बालिग पुत्र लालसिंह निवासी लालापुर परगना बेवर तहसील भोगांव,जिला मैनपुरी।

.... आवेदक।

बनाम

1- प्रबल प्रताप सिंह पुत्र शमशेर सिंह निवासी लालापुर परगना बेवर तहसील भोगांव जिला मैनपुरी।

.... विपक्षीगण ।

03-04-2026

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

2- स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, ''मूलवाद संख्या 1616/2023 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि सिविल जज अवर वर्ग मैनपुरी के यहाँ विचाराधीन था। इसी से सम्बन्धित आदेश-39 नियम-2 की पत्रावली प्रकीर्ण वाद संख्या 9/2025 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि भी इसी न्यायालय में दोनों पत्रावलियाँ सुनवाई हेतु विचाराधीन थी। दौरान सुनवाई मूलवाद संख्या 1616/2023 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि का ट्रान्सफर न्यायालय सिविल जज अवर वर्ग 14 वाँ वित्त आयोग एफ.टी.सी के

लिए ट्रान्सफर कर दिया गया,परन्तु प्रकीर्ण संख्या 09/2025 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि सिविल जज(अवर वर्ग)के यहाँ ही लम्बित है। इस कारण उक्त पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही स्थगित है। उक्त प्रकीर्ण संख्या 9/2025 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि की पत्रावली भी न्यायालय सिविल जज अवर वर्ग 14 वाँ वित्त आयोग/एफ.टी.सी में भेजी जानी न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकीर्ण वाद संख्या 09/2025 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि अन्तर्गत आदेश 29(2) की पत्रावली सिविल जज(अवर वर्ग)14 वाँ वित्त आयोग न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।''

3- प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगायी गयी। पीठासीन अधिकारी अपर सिविल जज(अवर वर्ग) मैनपुरी द्वारा स्थानांतरण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपनी आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार,''प्रकीर्ण वाद संख्या 09/2025 अनूप आदि बनाम प्रवल आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित है। पत्रावली के स्थानान्तरण पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पीठासीन अधिकारी सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी 14 वाँ वित्त आयोग मैनपुरी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में अपनी आख्या प्रेषित की गयी है कि,''मूलवाद संख्या 1616/2023 अनूप बनाम प्रबल प्रताप आदि की पत्रावली विचाराधीन है। ''

4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया । सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5- पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया । पीठासीन अधिकारी अपर सिविल जज(अवर वर्ग) मैनपुरी द्वारा अपनी आख्या में यह उल्लखित किया गया है कि'' प्रकीर्ण वाद संख्या 09/2025 अनूप आदि बनाम प्रवल आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित है। पत्रावली के स्थानान्तरण पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पीठासीन अधिकारी सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी 14 वाँ वित्त आयोग मैनपुरी द्वारा अपनी आख्या में यह उल्लिखित किया गया है कि,''मूलवाद संख्या 1616/2023 अनूप बनाम प्रबल प्रताप आदि की पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है। ।

6- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर होता है कि मूलवाद संख्या 1616/2023 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि से सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या 09/2025 अनूप आदि बनाम

प्रबल की पत्रावली न्यायालय सिविल जज(अ.व.) में विचाराधीन है,जो सुनवाई के स्तर पर लम्बित है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकीर्ण वाद संख्या 09/2025 अनूप आदि बनाम प्रबल आदि की पत्रावली को विधि अनुसार निस्तारित किए जाने हेतु न्यायालय सिविल जज अवर वर्ग मैनपुरी से न्यायालय सिविल जज (अ.व.)/एफ.टी.सी.,14 वाँ वित्त आयोग में स्थानान्तरित किया जाता है। प्रार्थना–पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

8. आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

<u>दिनांकः03.04.2026</u>

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.04.04 10:15:50 +0530